



कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई-मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष— 07592- 232967, फैक्स— 236976

क्रमांक / मा०चि० /
प्रति,

विदिशा, दिनांक / / 19

**Reliance JioInfocomm Ltd.,
3rd floor, Block No.1,DB City,
M.P. Nagar,
Bhopal**

विषय :— विदिशा जिले के अंतर्गत Reliance 4G project Berasia-Baruakhar-Sironj route के निर्माण हेतु 0.799 हेक्टेयर वनभूमि Reliance Jio ,3rd floor, Block No.1,DB City,M.P. Nagar, Bhopal को उपयोग पर देने बावत |(ऑन लाईन प्रकरण क्र./FP/MP/Others/ 35070 /2018)

संदर्भ :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(कक्ष भू-प्रबंध)भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/ विविध/2019/10-11/573 दिनांक 20/02/2019 एवं मुख्य वन संरक्षक,भोपाल वृत्त, भोपाल का पृ. क्रमांक/मा.चि./1227 दिनांक 21/02/2019।

—00—

विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में संदर्भित पत्रों से प्राप्त निर्देशानुसार लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप का आवेदन आनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें आपके द्वारा 0.550 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। तदउपरान्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, शामशाबाद एवं सिरोंज से स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.799 हेक्टेयर पाया गया अतः म0प्र0शासन वन विभाग म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/18/2002/10-3 दिनांक 18.11.2004 एवं एफ-5/18/2002/10-3 दिनांक 14/12/2005 एवं एफ-5/18/2002/10-3 दिनांक 01/07/2009 तथा अपर मुख्य वन संरक्षक(भूप्र0)के पत्र क्रमांक/एफ-11/2015/2637 दिनांक 28/10/2015,एफ -11 /2017/ 10-11/2586 दिनांक 01/09/2017 एवं एफ-8/विविध/2019/10-11/573 दिनांक 20/02/19 से जारी दिशा निर्देशानुसार Reliance 4G project Berasia-Baruakhar-Sironj route आप्टीकल फाइबर केवल बिछाने की औपचारिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

क्र.	जिले का नाम	वन मण्डल का नाम	कक्ष क्रांक	लंबाई मीटर में	चौड़ाई से. मी. में	आवेदित क्षेत्रफल है० में
1	विदिशा	विदिशा	RF-232	0700	0.50	0.035
			RF-238	1310	0.50	0.066
			RF-246	1200	0.50	0.06
			RF-247	1100	0.50	0.055
			RF-256	1583	0.50	0.079
			RF-263	1429	0.50	0.071
			RF-263A			
			RF-261A	1400	0.50	0.07
			RF-259A			
			RF-219	1500	0.50	0.075
			PF-488	150	0.50	0.007
			PF-490	1725	0.50	0.086
			PF-487	960	0.50	0.048
			PF-501	1185	0.50	0.059
			PF-504	1750	0.50	0.087
		योग		15.992	0.50	0.799

आवेदक संस्थान द्वारा 15.992 मीटर लंबाई एवं 0.5 मीटर चौड़ाई में ट्रैंच लाईन खोदी जाना है इस प्रकार कुल वन क्षेत्र 0.799 हेक्टेयर प्रभावित होगा।

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
2. केवल लाईन बिछाने वाली ट्रैंच लाईन का आकार 0.5 मी० चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।
3. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य पाईप लाईन को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
4. आप्टीकल फाइबर केवल लाईन के रख-रखाव की अनुमति आवेदन प्राप्त होने पर वन मण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
5. समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई ट्रैंच लाईन से निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
6. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र के बाहर से लाकर किया जायेगा।
7. यद्यपि प्रस्तावित लाईन में वृक्ष नहीं आ रहे हैं फिर भी ट्रैंच लाईन खोदते समय वक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी।
8. यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मण्डलाधिकारी विदिशा द्वारा की गयी निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी तथा भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भ०प्र०) म०प्र० भोपाल, मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल एवं वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल विदिशा द्वारा अगर कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होंगी। वचन पत्र देवें।
9. आवेदक संस्थान Reliance 4G project Berasia-Baruakhar-Sironj route के अंतर्गत मात्र उसी स्थान पर ट्रैंच लाईन खोदकर आप्टीकल फाइबर केवल लाईन बिछायेगा जिसका कि वन परिक्षेत्र अधिकारी सिरोंज/शमशाबाद एवं उप वनमण्डल अधिकारी सिरोंज/बासौदा ने संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान चिन्हित किया है।
10. प्रकरण में 0.799 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है इस हेतु तहसीलदार का प्रमाण पत्र देवें कि इसमें कोई राजस्व वन क्षेत्र शामिल नहीं है।

संदर्भित पत्र के अनुसार शर्त क्रमांक 1 से 10 तक की शर्तों का कड़ाई से पालन किया जावे तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्ति के पश्चात संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी सिरोंज/शमशाबाद को लिखित वचनपत्र देना अनिवार्य होगा।

- राम -

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा

पृ० क्रमांक / मा०चि० / ३७।

विदिशा, दिनांक १३/३/१९

प्रतिलिपि :- १. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भ०प्र०) म०प्र० भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप वन मण्डल अधिकारी, सिरोंज एवं बासौदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सिरोंज/शमशाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19/3/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भ०-प्रबंध)
मध्य देश, भोपाल
19/3/19

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा

४